कार्यालय अपीलेट अधिकारी (संभागीय आयुक्त), जयपुर

राजेन्द्र सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

किस्म मुकदमा–अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम

अपील संख्या 2025/1698

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिय जज	नम्बर मय तारीख अहकाम हो इस हुक्म की तामी में जारी हुए
14.10.25	पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलांट रेस्पों उभयपक्ष उप./वकील अपीलांट रेस्पों उभयपक्ष ने समय चाहा। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/10/25 को पेश हो संभागीय आयुक्त जयपुर	
29.10.25	पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलांट रेस्पों उभयपक्ष उप./वकील अपीलांट रेस्पों उभयपक्ष ने समय चाहा। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03/11/25 को पेश हो संभागीय आयुक्त जयपुर	
03.11.25	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक प. 13(8)(45)आरटीआई/प./2025/1649 दिनांक 30.10.25 से प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.25 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत दिनांक दिनांक 14.10.25 को पंचायत शाखा कार्यालय हाजा में प्राप्त हुआ था। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना ग्राम पंचायत गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू द्वारा अपीलार्थी के आवासीय भूखण्ड का स्वामित्व जानबूझकर अन्य के नाम दर्ज करने से संबंधित हे जो वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनू के स्तर पर प्रक्रियाधीन है तथा सूचना जाँच (Enquiry) प्रक्रिया प्रकटन से संबंधित है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(एच) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारित करने का श्रम करावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना ग्राम पंचायत गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू द्वारा अपीलार्थी के आवासीय भूखण्ड का स्वामित्व जानबूझकर अन्य के नाम दर्ज करने से संबंधित हे जो वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनू के स्तर पर प्रक्रियाधीन है तथा सूचना जाँच (Enquiry) प्रक्रिया प्रकटन से संबंधित है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(एच) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	